संशोधित

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 55/2023
किस्म :— **प्रार्थना—पत्र**
दायर दिनांक : 04.12.2023 **निर्णय दिनांक** : 13.05.2024

अनवान

1— श्रीमती देवकंवर पत्नी विजयसिंह निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

...............**प्रार्थीगण**

बनाम

1— श्री कुन्दनमल पिता डालचन्द निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
2— श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय आमेट जिला राजसमंद
3— श्री पटवारी साहब पटवार हल्का आमेट जिला राजसमंद
4— श्रीमती विद्यादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रांदड निवासी आमेट जिला राजसमंद

....................**विपक्षीगण**

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू—राजस्व अधिनियम

वादी की ओर से :— **अधिवक्ता विरेन्द्रसिंह चुण्डावत**
प्रतिवादी की ओर से :— **नील**

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एवं मौजा आमेट मे मुझ प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भूखण्ड जो आराजी नम्बर 5594/3011 में स्थित होकर आमेट नगर पालिका के पापा कॉलोनी में स्थित होकर जिसके पडोस निम्नानुसार हैः—

दिशा	**नाप**	**पडौस**
पूर्व	54 फीट	रास्ता आम
पश्चिम	नक्शानुसार	पडत भूमि सरकारी
उत्तर	50 फीट	श्री पुरूषोत्तम जी शर्मा
दक्षिण	15 फीट	पडत भूमि सरकारी

कुल क्षेत्रफल 1755 वर्गफीट है। कुन्दनमल पिता डालचन्द महाजन निवासी आमेट की स्वंय की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 3011 कुल क्षेत्रफल 0.3000 किस्म खादी में से जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17.11.1995 को श्रीमती विद्या देवी पत्नी ओमप्रकाश रांदड द्वारा 0.0300 रकबा कय किया गया था। जो कि नामान्तकरण संख्या 1108 द्वारा श्रीमती

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

विद्या देवी के नाम पर दर्ज किया गया है। श्रीमती विद्या देवी पत्नी ओम प्रकाश रांदड द्वारा नगर पालिका आमेट में उक्त भूमि आराजी नम्बर 5594/3011 कुल रकबा 0.0300 का आवासीय परियोजन के लिये दिनांक 06.08.2010 को आबादी संपरिवर्तन करवाकर उक्त रकबा में से कुल 1755 वर्गफिट का भूखण्ड पट्टा विलेख जारी करवा गया था। आबादी संपरिवर्तन पश्चात् श्रीमती विद्या देवी पत्नी ओमप्रकाश रांदड द्वारा जिरये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 30.01.2012 को प्रार्थीया के नाम रजिस्ट्री करवा दी गयी थी। प्रार्थीया द्वारा भूखण्ड पर आज दिनांक तक निरन्तर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। राजस्व कार्मिकों की गलती से आराजी नम्बर 5594/3011 की तरमीम अलग जगह दर्शायी गयी है। जिससे प्रार्थीया के भूखण्ड के नक्शे में गलत तरमीम में मात्र कागजो से वस्तुस्थिति बदल गई है। प्रार्थीया द्वारा मौके पर जब सीमा जानकारी करवायी गयी तो मौके पर नक्शा ट्रेस के अनुसार गलत तरमीम कि जानकारी प्राप्त हुई। नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 5594/3011 की गलत तरमीम होने से भूखण्ड का गलत अंकन होने से विवाद बढेगा जिससे सही तरमीम नक्शे में होना अतिआवश्यक है, जबकि प्रथम दृष्टया देखने से ही तरमीम का गलत होना स्पष्ट है, जबकि प्रार्थीया उक्त प्लॉट पर वर्षो से काबीज होकर निरन्तर उपयोग एवं उपभोग करती चली आ रही है। ऐसी स्थिति में नक्शा ट्रेस में सही सुधार होना आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि प्रार्थीया के नक्शा ट्रेस सही अंकन नहीं किया गया तो प्रार्थीया भारी मानसिक एवं आर्थिक क्षति होगी जिसका एवजाना अर्थ में भी संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आराजी नम्बर 5594/3011 में स्थित भूखण्ड के वर्तमान मौके अनुसार बराबर नपती कर नक्शा ट्रेस में तरमीम फरमाये जाने का आदेश दिया जाकर तरमीम करवायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका पर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम आमेट के नामान्तकरण संख्या 1108 के तहत जरिये विक्रय पत्र विद्यादेवी धर्म पत्नी ओमप्रकाश निवासी आमेट ने खसरा नम्बर 3011 में से कुन्दनमल पिता डालचन्द महाजन से 0.0300 हैक्टेयर भूमि खरीदी थी। जिससे खसरा विभाजन होकर 5594/3011 रकबा 0.0300 हैक्टेर किस्म खादी विद्यादेवी धर्म पत्नी ओमप्रकाश के नाम दर्ज हुई थी। प्रार्थी को मौके पर पक्की दीवार बनाकर कब्जा कर रखा है वह खसरा संख्या 3011 में है जो नजरी नक्शे में उल्लेखित है। नामान्तकरण संख्या 1108 के साथ नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं है एवं उक्त सेग्रीकेशन जो तरमीम की गई है वह मौके पर कब्जे की स्थिति से भिन्न है। कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में भिन्नता है। तरमीम शद्धि के लिए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे आवंटन आदेश, आंशिक नक्शा ट्रेस, नामान्तरण संख्या 144 एवं विवादित भूमि के फोटोग्राफ पेश किये।

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 25.01.24 को पारित निर्णय में जहां प्रार्थी का कब्जा पटवार हल्का आमेट द्वारा बताया गया, वहां नक्शे में शुद्धि तरमीम नहीं की गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

राजसमन्द

निर्णय में संशोधन किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार आमेट को पुनः मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमेट के खसरा सं. 3011 में से विद्या देवी पत्नी ओमप्रकाश सांदड निवासी आमेट ने विपक्षी कुन्दनमल से 0.0300 हैक्टर भूमि क्रय की थी जिसका नामान्तरण सं. 1108 दिनांक नवीन खसरा संख्या 5594/3011 रकबा 0.0300 हैक्टर क्रेता विद्या देवी के नाम दर्ज किया गया तत्पश्चात् विद्या देवी द्वारा उक्त भूमि में से 0.0214 हैक्टर भूमि आवासीय रूपान्तरण करवाई गई थी, जिसका नामान्तरण सं. दर्ज कर इस खसरे के दो खसरा नम्बर 5826/3011 रकबा 0.0214 हैक्टर एवं मीन नं. 5594/3011 रकबा 0.0086 हैक्टर दर्ज हुए। पूर्व मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में आराजी सं. 5594/3011 एवं 5826/3011 को नक्शे में बनाया गया था, परंतु सहवन से आराजी संख्या 5826/3011 लिखने से रह गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि प्रार्थीया का उक्त भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है। प्रार्थीया ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30.01.2012 से खरीद किया है। प्रार्थी देव कंवर का 11 वर्षो से कब्जा है तथा कब्जे पर किसी प्रकार का विवाद एवं आपत्ति नही है। प्रार्थीया का मौके पर कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड मे भिन्नता है। जिससे नक्शा ट्रेस मे सही सुधार होना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खसरा संख्या 5594/3011 रकबा 1755 वर्गफीट भूमि को पूर्व स्थान से विलोपित करते हुए प्रार्थी जहां मौके पर काबिज है, वहां संलग्न नक्शेनुसार तरमीम करने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला-राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट
(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)